

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

केशन कंवर पुत्री प्रतापरिंह वगै
म प्रकरण : राजरख चाद

बनाम

भवानी सिंह पुत्र प्रताप सिंह वगै

मुकदमा नं.- 174/2017

तारीख हुम	हुम या कार्यवाही इनिशिलरा जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तामील में जारी हुये।
9.05.17	<p>यह चाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध अधीन धारा 88,188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। चाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 02.06.2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	
6-9-17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अविबक्षता</p> <p>पीठारसी अधिवक्तारी नी गिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सभश दिनांक 19-11-18...को प्रस्तुत करें।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	
19.1.18	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अविबक्षता</p> <p>पीठारसी अधिवक्तारी नी गिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सभश दिनांक 19-2-18...को प्रस्तुत करें।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	
16 ² / ₁₈	<p>वकील वादी ने प्राप्तिपत्र पेश कर विवेदन किया कि पक्षकारान के महत्र रक्षीनामा होजा है चाद पत्र के चलाना नही चाहते है इसलिए पक्षावली को आज पेशी पर ली जाकर चाद को जरिये विद्रोस रखादिज किया जावे। पक्षावली व वकील वादी के द्वारा प्रस्तुत प्राप्तिपत्र का कवलोकन किया जाया। प्राप्तिपत्र के वकील का प्राप्तिना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षावली आज पेशी पर ली जाती है तथा चाद जरिये विद्रोस रखादिज किया जाता है पक्षावली नम्बर के सम होकर उपरत प्रारिषल हो।</p>	

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर